प्रदेश में 107 केंद्रों पर संपन्न हुई यूपीएससी की परीक्षा

अभ्यर्थियों ने कहा इस बार पेपर कठिन रहा

सीसैट पैटर्न ने बढ़ाई मुश्किल

नवभारत प्रतिनिधि

भोपाल, 24 मई. संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 रविवार को मप्र सहित देशभर में संपन्न हो गई. बता दें इस वर्ष देशभर के 83 परीक्षा केंद्रो पर करीब 8 लाख 19 हजार 372 आवेदन प्राप्त हुए थे.

वहीं आयोग ने इस बार भीड़ कम करने और अभ्यर्थियों को राहत देने के लिए भुवनेश्वर, कानपुर और मेरठ में तीन नए परीक्षा केंद्र शुरू किए. इन तीनों नए केंद्रों के लिए करीब 23 हजार अभ्यर्थियों ने आवेदन किया. जबकि मप्र में इस बार कुल 4 जिलों में भोपाल समेत इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर शामिल रहे. जिसमें प्रदेश भर में कुल 107 केंद्रो पर परीक्षा संपन्न कराई गयी. जिसमें भोपाल में इस बार 36, इंदौर में 27, ग्वालियर में 21 और जबलपुर में कुल 17 केंद्रों पर परीक्षा संपन्न हुई. हालांकि आयोग आधिकारिक तौर पर राज्य स्तर पर परीक्षा देने वाले अभ्यर्थियों की सूची जारी नहीं करता. लेकिन अनुमानित तौर मप्र में करीब 30 हजार से अधिक विद्यार्थी परीक्षा में शामिल हुये हैं.

मप्र में कड़ी निगरानी के बीच हुई परीक्षा

मप्र में भी यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा में इंदौर में करीब 12 हजार, ग्वालियर में करीब 6 हजार 652 जबलपुर में करीब 5 हजार 425 अभ्यर्थियों ने आवेदन किये थे. वहीं भोपाल में करीब 12 हजार 91 अभ्यर्थियों में से केवल 7 हजार 885 अभ्यर्थी ही शामिल हुये. जबकि 4 हजार 206 अनुपस्थित रहे. वहीं शहरों में सुबह से ही परीक्षा केंद्रों के बाहर अभ्यर्थियों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। प्रशासन और पुलिस की निगरानी में परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया .हालांकि भोपाल समेंत कई परीक्षा केंद्रों पर अभ्यर्थियों के मात्र 1 से 2 मिनट देरी होने के कारण उन्हें परीक्षा से वंचित रहना पड़ा. जिसमें सुभाष एक्सीलेंस स्कूल भोपाल केंद्र पर भी करीब 7 से 8 विद्यार्थियों की परीक्षा देरी के कारण छूट गई.

अभ्यर्थियों ने कहा सीसैट में पैटर्न बदला

इस बार का पेपर अच्छा था, जो पढ़ा था उसके अनुसार लगता है कि मेहनत रंग ला सकती है. सी- सैट को लेकर लोग कह रहे हैं थोड़ा कठिन था, लेकिन ये तैयारी के उपर निर्भर करता है कि पेपर कैसा था.

-अजय पाल, अभ्यर्थी

ये मेंरा दूसरा अटेम्ट था, लेकिन सीसैट में प्रश्न थोड़े ज्यादा लंबे थे, इसे पढ़ने और समझने में ही समय ज्यादा जा रहा था. हालांकि टार्गेट मैच कर लिया है, अब आगे देखते हैं.

-दीक्षा जैन. अभ्यर्थी

हर बार से ऐसा लगता है पेपर थोड़ा ज्यादा कठिन था, प्रश्न बड़े आये थे, पढ़ने में ही समय जा रहा था. सी- सैट का पैटर्न भी थोड़ा बदला हुआ लग रहा था.

-वंशिका तोमर, अभ्यर्थी

एंट्री से पहले तीन स्तर पर हुई जांच

परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. अभ्यर्थियों को केवल ई प्रवेश पत्र और मूल फोटो पहचान पत्र के आधार पर ही प्रवेश दिया गया. केंद्रों पर फेस ऑथेंटिकेशन प्रक्रिया के जरिए एडमिट कार्ड की फोटो से अभ्यर्थियों के चेहरे का मिलान किया गया. इसके बाद मेटल डिटेक्टर से तलाशी ली गई. वहीं मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, ब्लूटूथ डिवाइस, डिजिटल घड़ी और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स उपकरण पूरी तरह प्रतिबंधित रहे.

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सिंगरौली विकास के नए युग में प्रवेश कर रहा : रामनिवास

करोड़ों की परियोजनाओं के भूमि पूजन पर विधायक रामनिवास शाह ने जताया आभार

▸ मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज और ट्रामा सेंटर विस्तार को मिली स्वीकृति

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 24 मई। सिंगरौली महोत्सव एवं नगर गौरव दिवस कार्यक्रम में शामिल होने जिले के दो दिवसीय प्रवास पर पहुंचे म.प्र. के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा जिले को करोड़ों रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दिए जाने पर सिंगरौली विधायक रामनिवास शाह ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार एवं धन्यवाद व्यक्त किया है।

विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में सिंगरौली तेजी से विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है और जिले को अधोसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में ऐतिहासिक सौगातें मिल रही हैं। विधायक रामनिवास शाह ने बताया कि देवरी-परसौना, तेलगवां बायापास सड़क निर्माण के लिए 365 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है, जिससे जिले की यातायात व्यवस्था को नई गति मिलेगी। वहीं मेडिकल कॉलेज में 605 बेड के चिकित्सालय निर्माण एवं जिला चिकित्सालय सह ट्रामा सेंटर को 200 से बढ़ाकर 400 बेड करने की स्वीकृति भी दी गई है। मेडिकल कॉलेज परिसर में ही नर्सिंग कॉलेज निर्माण की मंजूरी स्वास्थ्य शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम माना जा रहा है। इसके अलावा माजन मोड़ से नवजीवन बिहार सड़क निर्माण के लिए लगभग 9 करोड़ रुपये तथा मेडिकल कॉलेज से कचनी मेन रोड तक सड़क निर्माण के लिए लगभग 11 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। जिले में बहुप्रतीक्षित स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स एवं इंडोर स्टेडियम निर्माण को भी स्वीकृति दी गई है, जिससे युवाओं को आधुनिक खेल सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

विधायक ने बताया कि चाचर से जरहा म्यार नदी पर 16.42 करोड़ रुपये तथा ओखरावल से बहेरी म्यार नदी पर 19.71 करोड़ रुपये की लागत से पुल निर्माण कार्य प्रगति पर है। वहीं नवीन जिला न्यायालय भवन निर्माण के लिए 71 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत होने से न्यायिक अधोसंरचना को मजबूती मिलेगी। रामनिवास शाह ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रदेश सरकार लगातार सिंगरौली के विकास को प्राथमिकता दे रही है। इन विकास कार्यों से जिले की तस्वीर बदलेगी और आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

पचौर में इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का हुआ लोकार्पण

मुख्यमंत्री द्वारा ओखरावल से गहिड़ार पहुंच मार्ग का लोकार्पण किया गया, जिसकी लागत 76 लाख रुपये है। मझौली में 150 लाख रुपये की लागत से आरसीसी सड़क एवं नाली निर्माण कार्य तथा तियरा में 300 लाख रुपये की लागत से आरसीसी सड़क एवं नाली निर्माण कार्य, सोवा बाबा पहाड़ी से सिपाही टोला खम्हरिया मार्ग सड़क निर्माण कार्य 450 लाख रुपये, सिद्धीकला से अमहरा पहुंच मार्ग का निर्माण 567 लाख रुपये तथा भाड़ी टोला से छुहिलहवा टोला पहुंच मार्ग का निर्माण 555 लाख रुपये की लागत से कराया गया है। खेल सुविधाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पचौर में 200 लाख रुपये की लागत से निर्मित इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का भी लोकार्पण किया गया। इसके अलावा पॉलीटेक्निक कॉलेज में 478 लाख रुपये की लागत से निर्मित अतिरिक्त भवन का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री द्वारा किया गया। विधायक रामनिवास शाह ने कहा कि इन कार्यों से शिक्षा और खेल सुविधाओं को नई मजबूती मिलेगी।

कलेक्टर ने की पेयजल व्यवस्था की व्यापक समीक्षा

सभी बसाहटों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश

नवभारत न्यूज

सीधी 24 मई, गर्मी के मौसम में पेयजल संकट की संभावनाओं को देखते हुए कलेक्टर विकास मिश्रा ने जिले की पेयजल व्यवस्थाओं की व्यापक समीक्षा करते हुए संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिले की प्रत्येक बसाहट में शुद्ध एवं पर्याप्त पेयजल उपलब्धता सुनिश्चित की जाए।

उन्होंने कहा कि आमजन को पेयजल के लिए किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए सभी विभाग समन्वय के साथ गंभीरता से कार्य करें। समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने निर्देश दिए कि जल स्तर पर सतत निगरानी रखी जाए और जहां जल स्त्रोत कमजोर प? रहे हों, वहां तत्काल

वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बाधित न हो। उन्होंने कहा कि गर्मी के इस मौसम में पेयजल व्यवस्था प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।जल जीवन मिशन के अंतर्गत संचालित कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मिशन के कार्यों की निरंतर मॉनिटरिंग की जाए तथा गुणवत्ता और समयसीमा का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि आमजन तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचना सुनिश्चित किया जाए। कलेक्टर ने पेयजल स्त्रोतों की स्वच्छता और गुणवत्ता पर विशेष जोर देते हुए कुओं, हैंडपंपों, पानी की टंकियों एवं अन्य पेयजल स्त्रोतों के नियमित शुद्धिकरण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना केवल सुविधा नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य से जु?ा महत्वपूर्ण विषय है। हैंडपंपों के आसपास अतिक्रमण को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि सार्वजनिक पेयजल स्त्रोतों पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर हटाया जाए और यह किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संसाधनों पर अवैध कब्जे के कारण आमजन को असुविधा नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेयजल से संबंधित शिकायतों का त्वरित निराकरण सुनिश्चित किया जाए और जहां आवश्यक हो, तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए।

लो वोल्टेज व अघोषित बिजली कटौती से आमजन बेहाल

कई घंटे बिजली रहती है गुल, शिकायत का नही है कोई असर

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 24 मई। जिले के देवसर क्षेत्र में पड़ रही भीषण गर्मी के बीच लगातार दो दिनों से हो रही लो वोल्टेज की समस्या और अघोषित बिजली कटौती ने आमजन का जीवन अस्त-व्यस्त कर दिया है।

दिनभर तेज धूप और उमस से लोग परेशान हैं, वहीं रात में भी बिजली की आंख-मिचौली से लोगों को राहत नहीं मिल पा रही। ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में उपभोक्ताओं का कहना है कि कई-कई घंटों तक बिजली गुल रहती है और जब बिजली आती भी है तो वोल्टेज इतना कम रहता है कि पंखे, कूलर और अन्य विद्युत उपकरण ठीक से नहीं चल पाते। लगातार लो वोल्टेज के कारण लोगों के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण खराब होने का खतरा बढ़ गया है। पंखे धीमे चल रहे हैं, कूलर पर्याप्त ठंडक नहीं दे पा रहे और मोटर-पंप भी सही तरीके से काम नहीं कर रहे। सबसे ज्यादा परेशानी छोटे बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को उठानी पड़ रही है। रातभर बिजली कटौती से लोगों की नींद खराब हो रही है और गर्मी के कारण हालात और भी गंभीर बनते जा रहे हैं। लो वोल्टेज के चलते पानी की मोटरें नहीं चल पा रहीं। लोगों ने आरोप लगाया कि बिजली विभाग न तो समय पर सुधार कार्य कर रहा है और न ही कटौती की पूर्व सूचना दी जा रही है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन और बिजली विभाग से मांग की है कि गर्मी के मौसम को देखते हुए विद्युत व्यवस्था में तत्काल सुधार किया जाए, लो वोल्टेज की समस्या दूर की जाए और अघोषित कटौती पर रोक लगाई जाए, ताकि लोगों को इस भीषण गर्मी में राहत मिल सके।

सोन नदी से रेत की चोरी करते चार ट्रैक्टर जप्त

चितरंगी 24 मई। प्रतिबंधित सोन नदी गांगी से रेत की निकासी कर रहे चार ट्रैक्टरों को पुलिस ने रेत के साथ जप्त कर कार्रवाई की है। पुलिस के इस कार्रवाई से अवैध रेत कारोबारियों में हड़कंप मच गया है। यह कार्रवाई 23 एवं 24 मई के मध्य रात्रि की है।चितरंगी पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र के गांगी सोन नदी से रेत की अवैध उत्खनन एवं परिवहन में लगे चार ट्रैक्टरों को अवैध रेत के साथ पुलिस ने गांगी गांव में ही घेराबंदी कर बिना नम्बर के चार ट्रैक्टरों को जप्त कर सभी वाहन मालिक एवं चालको के विरूद्ध धारा 303(2), 317(5) बीएनएस एवं 4, 21 खान खनिज अधिनियम 27, 29, 39 डी, 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 2, 41, 52 भारतीय वन अधिनियम के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। उक्त कार्रवाई में निरीक्षक सुधेश तिवारी थाना प्रभारी, एएसआई रमेश प्रसाद कोल, रमेश प्रसाद साकेत, रामजी पाण्डेय, मोहन पनाड़िया, प्रआर संतकुमार प्रजापति, आर. सुभाष कुमार, सुदर्शन कुमार, सर्वदानन्द राय की भूमिका सराहनीय रही।

अवैध खनन गतिविधियों के मामले में सीधे कोर्ट में केस करने का मिला वैधानिक अधिकार

एनसीएल एवं सीआईएसएफ का मामला

नवभारत न्यूज

सिंगरौली 24 मई। कोयला क्षेत्र से जुड़े एक महत्वपूर्ण विधिक सुधार के तहत केंद्र सरकार द्वारा खान और खनिज अधिनियम, 1957 की धारा 22, धारा 23(ख) और धारा 24 में महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है।

इस आशय की अधिसूचना कोयला मंत्रालय द्वारा जारी की गई है, जिसके तहत उपरोक्त वर्णित धारा 22 और धारा 24 में निहित सभी या किसी शक्ति का प्रयोग करने के लिए अपने अधिकार क्षेत्रों में सरकारी कोयला और लिग्नाइट कंपनियों के अधिकारियों और सीआईएसएफको अधिकृत किया गया है। उक्त अधिसूचना के माध्यम से एनसीएल के सभी क्षेत्रीय महाप्रबंधक, परियोजना अधिकारी, खान प्रबंधक, एरिया नोडल ऑफिसर, एरिया मैनेजर सुरक्षा बल के कमांडेंट, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के वरिष्ठ कमांडेंट, सीआईएसएफके डिप्टी कमांडेंट व सीआईएसएफ के सहायक कमांडेंट वर्णित धाराओं की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत हो गए हैं। साथ ही धारा 23(ख) में बदलाव कर सीआईएसएफ को अवैध खनिज, दस्तावेज या वस्तु की तलाशी और जब्ती का कानूनी अधिकार भी दे दिया गया है। दरअसल एमएमडीआर एक्ट की धारा 22 अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत दंडनीय अपराध का संज्ञान किसी न्यायालय द्वारा तब तक नहीं लिया जाता है, जब तक कि केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा अधिकृत अधिकारी लिखित शिकायत प्रस्तुत न करें। उपरोक्त अधिसूचना के माध्यम से अधिकृत अधिकारी के इसी दायरे को बढ़ाते हुए एनसीएल के अधिकारियों के साथ-साथ सीआईएसएफ के अधिकारियों को इसमें समाहित किया गया है। वहीं धारा 24 के तहत अधिकृत अधिकारी, जिनमें अब एनसीएल व सीआईएसएफ के अधिकारी भी शामिल हैं, को अन्य अधिकारों के साथ निरीक्षण, जांच व संबंधित व्यक्तियों से पूछतांछ जैसे अधिकार प्राप्त हुए हैं।

सरकारी जमीन के अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुल्डोजर

नवभारत न्यूज

सीधी 24 मई, जिले के चुरहट क्षेत्र में शासकीय भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने बुल्डोजर कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जा हटाया।

एसडीएम चुरहट विकास कुमार आनंद स्वयं मौके पर पहुंचे और पुलिस बल तथा राजस्व विभाग की टीम की मौजूदगी में सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में प्रशासनिक सख्ती देखने को मिली। प्राप्त जानकारी के अनुसार ग्राम सलैया स्थित शासकीय आराजी खसरा क्रमांक 47, कुल रकबा 0.050 हेक्टेयर में से 0.010 हेक्टेयर भूमि पर राजराखन तिवारी पिता गिरवरधारी तिवारी निवासी सलैया द्वारा बाड़ लगाकर कब्जा कर लिया गया था। मामले की जानकारी मिलने के बाद पटवारी हल्का सलैया द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 248 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। प्रकरण में अतिक्रमणकारी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। नोटिस के बाद अनावेदक उपस्थित तो हुआ, लेकिन उसने कोई संतोषजनक जवाब प्रस्तुत नहीं किया। वहीं प्रकरण में संलग्न पटवारी प्रतिवेदन और अन्य दस्तावेजों के परीक्षण के बाद यह प्रमाणित हुआ कि शासकीय भूमि पर अवैध कब्जा किया गया है। इसके बाद एसडीएम विकास कुमार आनंद ने आदेश जारी करते हुए अतिक्रमणकारी पर 1000 रुपये का अर्थदंड

अधिरोपित किया और सरकारी भूमि से बेदखल करने के निर्देश दिए। आदेश के पालन में प्रशासनिक अमला तुरंत हरकत में आया। एसडीएम स्वयं नायब तहसीलदार सुषमा रावत, पुलिस बल, राजस्व निरीक्षक, पटवारी एवं अन्य कर्मचारियों के साथ मौके पर पहुंचे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कराई। कार्रवाई के दौरान सरकारी भूमि पर की गई बाड़ को हटाया गया और जमीन को पुन¬शासन के कब्जे में लिया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड?प की स्थिति रही। स्थानीय लोगों ने भी सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई को सराहा।

इनका कहना है -

शासकीय भूमि पर कब्जा करने वालों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी और किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

विकास कुमार आनंद, एसडीएम चुरहट

सभापुर सतना से नाबालिग बालिका सुरक्षित बरामद

सीधी 24 मई। गुमशुदा बच्चों की शीघ्र बरामदगी हेतु पुलिस मुख्यालय द्वारा संचालित अभियान मुस्कान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक सीधी संतोष कोरी के निर्देशन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अरविंद श्रीवास्तव एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस रवि प्रकाश कौल के मार्गदर्शन में थाना सेमरिया पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई है। पुलिस टीम ने प्रकरण दर्ज होने के पश्चात त्वरित कार्रवाई करते हुए परंपरागत पुलिस साक्ष्यों एवं स्थानीय सूचना तंत्र के आधार पर सभापुर सतना से अपहृत नाबालिग बालिका को सुरक्षित दस्तयाब करने में सफलता प्राप्त की है। थाना प्रभारी सेमरिया उनि केदार परौहा के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने सुनियोजित रणनीति के तहत सभापुर जिला सतना पहुंचकर स्थानीय सहयोग एवं सतत प्रयासों से अपहृत बालिका का पता लगाया।

महात्मा गांधी चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय चित्रकूट

जिला सतना (म.प्र.) 485334

बैंकिंग सेवा कार्य हेतु दर आंमत्रण

विश्वविद्यालय अधिनियम के अध्याय 06 की धारा 34 (4) तथा परिनियम के 15.1 (ब) के अनुसार सतना जिले में संचालित अनुसूचित बैंकों (Scheduled Banks), जो भारतीय रिर्जव बैंक ऑफ इण्डिया के अधिनियम 1934 (No-11 of 1934) के अन्तर्गत संचालित हो, से निम्नानुसार बैंकिंग दरें आंमत्रित की जानी है।

1. बल्क जमा (Non-Callable) एवं मासिक आवर्ती जमा के अन्तर्गत प्रतिस्पर्धी ब्याज दर (न्यूनतम एक वर्ष के साथ उच्चतम ब्याज दर पर अथवा अधिकतम ब्याज दर की न्यूनतम अवधि हेतु)
2. उक्तानुसार दरें बिलम्तम 29/05/26 को अपरान्ह 01 बजे तक विश्वविद्यालय में प्राप्त की जायेगी एवं उसी दिन अपरान्ह 03 बजे गठित समिति के समक्ष खोली जायेगी।

सम्पर्क मोबाइल क्रमांक 9425426353

- कुलसचिव

Presiding Officer : **श्री विवेक सक्सेना**

(आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत प्रकाशन हेतु)

(RCS HM/000056/2025)

अलकेश त्रिपाठी ....वादी

Vs

प्रभा शुक्ला ..... प्रतिवादी

Process Id-/2026 पेशी दिनांक:-17.06.2026

प्रेषिती-

(1) प्रभा शुक्ला पति अलकेश त्रिपाठी पता- सेवादास अखाड़ा रोड पीपल चौराहा कछियान मोहल्ला तहसील नागौद जिला सतना म.प्र.

यह कि प्रार्थी अलकेश त्रिपाठी ने आपके विरूद्ध अंतर्गत धारा 9 हिन्दू विवाह अधिनियम के लिये वाद संस्थित किया है .आपको इस न्यायालय में सूचना प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंजात/ हाजिर होने के लिये सम्मन किया जाता है, आप न्यायालय में स्वयं या किसी ऐसे प्लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंजात हो सकते हैं, जिसे सम्यक अनुदेश दिय गये हो और जो इस वाद से संबंधित सभी सारवान कथनों का उत्तर दे सकें. आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रतिरक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज जो आपके कब्जे या शक्ति में हैं पेश करें जिन पर आपका प्रतिरक्षा या मूजराई का दावा या प्रतिदावा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रतिरक्षा या मुजरा के दावे या प्रतिदावे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते हैं तो ऐसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सूची में प्रविष्टि करें. आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप ऊपर बताई गई अवधि में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जायेगा. साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक हैं तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावें.

यह आज तारीख 11 मई 2026 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गया है.

(विवेक सक्सेना)
द्वितीय जिला न्यायाधीश
अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.)

कृपया ध्यान दें:- यदि किसी कारणवश उक्त तिथि को न्यायालय अवकाश पर रहेगा तो आगामी कार्यदिवस पर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जायेगा

दुअरा की पत्थर खदान में अनियमितताओं पर छापामार कार्रवाई

विस्फोटक उपयोग में गड़बड़ी पर प्रशासन सख्त, खदान संचालन पर तत्काल रोक

नवभारत न्यूज

सीधी 24 मई, जिले के ग्राम दुअरा तहसील बहरी स्थित स्वीकृत पत्थर खदान में नियमों की गंभीर अनदेखी और संदिग्ध ब्लास्टिंग की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन ने त्वरित और सख्त कार्रवाई करते हुए संयुक्त छापामार अभियान चलाया।

कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी विकास मिश्रा तथा पुलिस अधीक्षक

संतोष कोरी के निर्देशन एवं एसडीएम सिहावल राजेश शुक्ला के मार्गदर्शन में प्रशासनिक और पुलिस अमले ने मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच में खदान संचालन में गंभीर लापरवाही और सुरक्षा मानकों की खुली अवहेलना सामने आई। खदान क्षेत्र में सीमा चिन्ह, तार फेंसिंग और अन्य अनिवार्य सुरक्षा व्यवस्थाएं नियमानुसार नहीं पाई गईं। इसे जनसुरक्षा के लिए गंभीर खतरा मानते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से खदान में पत्थर उत्खनन और ब्लास्टिंग गतिविधियां बंद करा दीं। कार्रवाई के दौरान विस्फोटक कार्य में प्रयुक्त वाहन क्रमांक एमपी17 जी-3415 मौके पर पाया गया। वाहन के साथ मौजूद व्यक्तियों से विस्फोटक सामग्री के परिवहन एवं उपयोग संबंधी वैध दस्तावेज मांगे गए, लेकिन मौके पर कोई वैध अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए जा सके। मामला तब और गंभीर हो गया, जब व्हाट्सएप के माध्यम से दिखाए गए ॐप्रपत्र आरई-13ॐ में विस्फोटक सामग्री के उपयोग का स्थान ग्राम बारी, तहसील गोपद बनास दर्ज था, जबकि वही सामग्री ग्राम दुअरा, तहसील बहरी क्षेत्र में पाई गई। प्रथम दृष्टया यह विस्फोटक सामग्री के परिवहन और उपयोग में गंभीर अनियमितता तथा नियमों के संभावित उल्लंघन का मामला पाया गया।

कार्यालय नगर परिषद नागौद जिला-सतना (म0प्र0)

क्रमांक / यू.ए.डी.डी./न0प0/2026-27/481 नागौद, दिनांक 13/05/2026

// निविदा सूचना //

NIT No.: **05/2026**

निम्नलिखित कार्य हेतु केन्द्रीयकृत प्रणाली में पजीकृत ठेकेदारो से ऑन लाईन निविदाये आमंत्रित की जाती है। निविदा का विस्तृत विवरण वेबसाइट https://mptenders.gov.in पर देखा जा सकता है।

क्र.	टेण्डर नं.	सामग्री का नाम	अनुमानित लागत	अमानत राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	कार्य की अवधि
1.	2026_UAD _509742_1	वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिये निकाय के विभिन्न निर्माण कार्यो हेतु सामग्री का प्रदाय ।	10.00 लाख	10,000/-	2000/-	31 मार्च 2027 तक

नोट: - निविदा से संबंधित किसी भी प्रकार के संशोधन का प्रकाशन ऑनलाइन वेबसाइट https://mptenders.gov.in की वेबसाइड पर ही किया जावेगा पृथक सें समाचार पत्र मे प्रकाशन नही किया जायेगा।

मुख्य नगरपालिका अधिकारी
नगर परिषद नागौद
जिला-सतना (म0प्र0